

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर.**

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **30 SEP 2022**

क्रमांक एफ 2-13/2022/सात-2 :: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करते हुए, कॉलम नम्बर (03) से कॉलम नम्बर (04) में दर्शाये अनुसार अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :-

क.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना जिला	नवीन पदस्थापना जिला
(01)	(02)	(03)	(04)
1	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	जिला सुकमा	जिला महासमुंद
2	श्री किशोर कुमार शर्मा	जिला गरियाबंद	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर
3	सुश्री शिल्पा भगत	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जिला बिलासपुर
4	श्री राधेश्याम वर्मा	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	जिला दुर्ग
5	सुश्री ख्याति नेताम	रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर	जिला दुर्ग
6	श्री अमरनाथ श्याम	जिला कोरिया	जिला जांजगीर-चांपा
7	श्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी	जिला जशपुर	जिला कबीरधाम
8	श्री नीलमणी दुबे	जिला गरियाबंद	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
9	श्रीमती नेहा ध्रुव	जिला बालोद	जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
10	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	जिला नारायणपुर	जिला कबीरधाम
11	श्रीमती जयंती देवांगन	जिला जांजगीर-चांपा	जिला मुंगेली
12	श्री विरेन्द्र कुमार नेताम	जिला कांकेर	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
13	सुश्री रिचा सिंह	जिला -बिलासपुर	जिला रायगढ़

14	श्री अतुल वैष्णव	जिला बिलासपुर	जिला सक्ती
15	श्रीमती माया अंचल	जिला रायगढ़	जिला बिलासपुर
16	श्री कृष्ण कुमार साहू	जिला रायपुर	जिला सुकमा
17	श्री रामराज सिंह	जिला जशपुर	जिला नारायणपुर
18	श्री सुनील अग्रवाल	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	जिला जशपुर
19	श्री शिवम पाण्डेय	जिला मुंगेली	जिला बिलासपुर

2/ उपरोक्त स्थानांतरित तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन पदस्थापना स्थान पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त समयावधि के भीतर भारमुक्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वमेव भारमुक्त माना जावेगा। स्थानांतरण पश्चात् नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

3/ संबंधित जिला कलेक्टर का दायित्व होगा कि स्थानांतरित तहसीलदारों को पदस्थापना स्थान के लिए तत्काल भारमुक्त करें तथा भारमुक्ति आदेश के प्रति इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

4/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(शत्रुहन यादव)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 2-13/2022/सात-2  
प्रतिलिपि-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 SEP 2022

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.
4. संबंधित जिला कलेक्टर.....छ.ग.,  
कृपया स्थानांतरित तहसीलदार को नवीन पदस्थापना हेतु तत्काल भारमुक्त कर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. कलेक्टर, जिला....., छ.ग.।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, ....., छ.ग.।
7. संबंधित तहसीलदार ....., छ.ग.।
8. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाईल,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग